फ्लड प्रोन रिवर प्रोजेक्ट–FPRP (वन विभाग), राजस्थान

❖ परिचय

देश की आजादी के बाद भारत सरकार ने ढांचागत विकास को प्राथमिकता देकर उसके उसके मुख्य अंग के रूप में बिजली एवं अनाज उत्पादन बढ़ाने हेतु अधिक सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के उदेश्य से सालभर बहने वाली नदियों पर बांध बनाने का कार्य शुरू किया। कुछ वर्ष बाद यह पाया गया कि इन बांधो के जलग्रहण क्षेत्रों से बहकर आने वाली मिट्टी इनकी क्षमता को कम कर रही थी। मिट्टी के कटाव को रोकने हेतु तृतीय पंचवर्षीय योजना से नदी घाटी परियोजना एवं पांचवी पंचवर्षीय योजना से बाढ़ उन्मुख नदी परियोजनाओं को भू एवं जल संरक्षण कार्यो हेतु शामिल किया गया।

❖ परियोजना के उद्देश्य

1. कृषि, बंजर एवं वन भूमि के कटाव को रोकना एवं कटी हुई भूमि को उपचार कर खेती योग्य बनाना।
2. प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, मृदा एवं वनोपज का संरक्षण एवं विकास कर उन्हें उपयोगी बनाना।
3. वर्षा जल संरक्षण से खेत का पानी खेत में एवं गांव का पानी गांव में रोककर कुओं के जल स्तर में सुधार तथा बारानी क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता बढ़ाना।
4. बाढ़ एवं सुखे की समस्या को दूर करना।
5. ग्रामवासियों एवं पशुधन की बढ़ती जरूरतों का पूरा करने के लिए भोजन, पानी, चारा एवं जलाऊ लकड़ी की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
6. स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना।
7. जलग्रहण क्षेत्र के प्रबन्धन एवं विकास में स्थानीय लोगों को भागीदार बनाना।
8. वन, राजस्व एवं चारागाह भूमि पर वृक्षारोपण एवं बीजारोपण से वनोपज में बढ़ोतरी करना।
9. गरीब, किसानों और भूमिहीन ग्रामवासियों के लिए कृषि उपज बढ़ोतरी एवं जीविकोपार्जन हेतु सहायता करना।

❖ कार्यप्रणाली

परियोजनाधीन कार्यान्वित की जा रही जलग्रहण परियोजना में बहुआयामी तरीके के कार्य करवाये जाते है। कृषि मंत्रालय भारत सरकार की इकाई भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण, नई दिल्ली द्वारा मृदा का सर्वेक्षण कर चिन्हित किये गये अति उच्च एवं उच्च प्राथमिकता वाले उपजलग्रहण क्षेत्रों एवं उनकी सीमा से लगते हुए (Contiguous) मध्यम, प्राथमिकता वाले जलग्रहण क्षेत्र मण्डल की वार्षिक योजना के अनुसार 10–12 उपजलग्रहण क्षेत्रों का चयन किया जा कर उनका अभियात्रिंकी सर्वेक्षण करवाकर कन्टूर नक्शा, खसरा नक्शे के ऊपर तैयार किया जाता है, जिसमें उस उपजलग्रहण क्षेत्र के सभी छोटे बडे नालों, कुओं आदि का अंकन होता है। साथ ही क्षेत्र की जनसंख्या, पशुधन, फसल, कुटीर उद्योग, जल स्त्रोत आदि के आंकडे भी एकत्रित किये जाते है। क्षेत्र में उपचार योग्य कृषि, बंजर एवं वन भूमि की अलग–अलग पहचान की जाती है और उनमें से कितनी भूमि उपचार योग्य है को निर्धारित कर तीन से पांच वर्ष की कार्य योजना कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार एवं स्थानीय भौगोलिक परिस्थिति, आवश्यकताओंनुसार एवं जनभागीदारी से तैयार की जाती है। जिसे कृषि विभाग राजस्थान सरकार से स्वीकृत कराया जाता है। उसके पश्चात् योजना पर कार्य प्रारम्भ किया जाता है।